# मध्यप्रदेश नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की पंचायतीराज व्यवस्था में ग्राम न्यायालय की भूमिका का अध्ययन

**शोधपत्र-राजनीति विज्ञान**

*** डॉ. विनोद गजभिये**

नक्सलवाद आंदोलन की विचार धारा मूलतः शोषण एवं भ्रष्टाचार की समाप्ति तथा आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की स्थापना से प्रेरित है। पंचायतराज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई तथा संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है जिसमें सिविल प्रकरण राजस्व प्रकरण अपराधिक प्रकरणों का निपटारा किया जाता है ग्राम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय की प्रक्रिया से सरल है जिसमें ग्रामीणों को ग्रामीण स्तर पर न्याय मिलता है नक्सलवाद के प्रभाव से सही एवं निष्पक्ष न्याय की प्राप्ति होती है या नही । ग्रामीणों को न्याय से धन एवं समय की बचत होती है या नही ? यह जानने का प्रयास किया गया। चुंकि ग्राम न्यायालय की स्थापना का उद्‌देश्य ग्रामीण लोगो को ग्रामीण स्तर पर न्याय प्रदान कर उनके समय एवं धन की बचत कराना अपितु ग्राम न्यायालय इन कार्यो एवं उद्‌देश्यों को पूरा करने में सफल हुये। चूंकि नक्सलवाद के प्रभाव से ग्रामीणों को न्याय प्रदान करने एवं उनके प्रकरणों को निष्पक्षता के साथ समाधान करने में किसी सकारात्मक भूमिका दी कमजोर वर्गो के अनुसूचित जाति जनजातियों एवं पिछड़ा वर्गो ने लोगो को सामाजिक न्याय प्रदान करने में ग्राम न्यायालय कितने सक्षम एवं सार्थक है इसका सूक्ष्म अध्ययन इस शोध के अंतर्गत किया जा रहा है ताकि ग्राम न्यायालय को जो संवैधानिक अधिकार एवं कार्य प्रदान किये गये है उनका निर्वहन करने में कितना सहायक हो रहा है ग्राम न्यायालय आज हमारी सामाजिक समस्याओं को हल करने में कितना सहायक हो रहा है

तथा किस तरह से अपना दृष्टिकोण रखते है ग्राम न्यायालय के अध्यक्ष/संप्रदाय/विधि सचिव को कार्य करने में नक्सलवाद के प्रभाव ने किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ग्राम न्यायालय को 26 जनवरी 2001 में लागू किया है। ग्राम न्यायालय मामलों को सुलझाने में सफल हुई या नही ? साथ ही अध्ययन का एक अन्य पक्ष ग्राम न्यायालय का कमजोर वर्गो के साथ उसकी भूमिका तथा ग्रामीण स्तर पर ही लोगो को सस्ता एवं सूक्ष्म न्याय का सुक्ष्म अध्ययन करना है। तथा नक्सलवाद के प्रभाव से ग्राम न्यायालय किस हद तक कमजोर वर्गो को न्याय दिलाने में सक्षम हुआ है तथा ग्रामीणों को न्याय किस तरह से प्रदान किया जावे इन सभी समस्याओं के लिए शोधार्थी के लिए ग्राम न्यायालय की समस्या को उजागर करते हुये समस्याओं को हल करने के लिये एक प्रेरणा प्रदान करता है इस सभी का सूक्ष्म पहलुओं को अध्ययन इस शोध प्रबंध के अंतर्गत किया गया है ।

**अध्ययन क्षेत्रः–** मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों बालाघाट, मंडला, डिण्डोरी को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है।

**आंकड़ों के संकलन के स्त्रोतः–** संबंधित अध्ययन के लिये आंकड़ों के संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीय स्त्रोंतों का उपयोग किया गया है प्राथमिक संमंको के संकलन हेतु अध्ययन क्षेत्र के चयनित गांवों के चयनित उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आंकड़ों का संकलन किया गया है । द्वितीय संमंको के संकलन हेतु अध्ययन विषय से संबंधित शोध पत्रों, सरकारी दस्तावेज, प्रतिवेदन आदि किया गया है।

**अध्ययन के उद्‌देश्यः– (1)** संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा ग्राम न्यायालय को प्रदान किये गये। अधिकारों एवं कार्यो का अध्ययन करना। (2) ग्राम न्यायालय द्वारा ग्रामीणों की समस्या के निवारण में भूमिका का अध्ययन करना। (3) ग्राम न्यायालयों में नक्सलवादियों की भागीदारी के स्तरों का अध्ययन करना। (4) ग्राम न्यायालयों के प्रति ग्रामीणों एवं नक्सलवादियों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना। (5) ग्राम न्यायालयों के कार्य संपादन में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करना।

***सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शास.एस.एस.पी. महाविद्यालय, वारासिवनी, बालाघाट**

**शोध प्रविधिः—** समग्र के चयन के पश्चात अध्ययन की ईकाइ का चयन किया गया। इस हेतु चयनित 15 गांवों के कुल ग्रामीण परिवारों मे से प्रत्येक गांव से 15–15 ग्रामीण परिवारों का चयन किया गया।

**निदर्शन पद्धतिः—** इस अध्ययन के लिये निदर्शन पद्धति के अंतर्गत लाटरी पद्धति के द्वारा मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित गांवों का चयन हुआ। इसके बाद इसी पद्धति के द्वारा दो गांवो का चयन किया गया। इसके पश्चात दोनो गांव के कुल ग्रामीणों परिवारो की गणना की गई। तत्पश्चात् लाटरी पद्धति से प्रत्येक गांव के कुल ग्रामीणों मे से 15–15 परिवारो का चयन किया गया।

**परिकल्पनाः—** (1) पंचायतराज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम न्यायालय के अस्तित्व में आने से ग्रामीणों के छोटे–छोटे प्रकरणों के निराकरण में मदद तो मिलेगी।

(2) ग्रामीणों को ग्रामीण स्तर पर सस्ता सुलभ एवं शीघ्र न्याय प्रदान किया जायेगा। एवं किसी प्रकार की फीस एवं रिश्वत नही ली जावेगी

(3) नक्सलवाद के भय से समाज मे सामाजिक न्याय एवं समानता की स्थापना को बल मिलेगा।

(4) पंचायतराज व्यवस्था के माध्यम से गांव के समग्र विकास के साथ ही ग्राम न्यायालय से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो सके।

**अध्ययन के अंतर्गत प्राप्त सामग्री का विशले�णः— क्या ग्राम न्यायालय निम्न बातों पर न्याय करते हैं**

**सारणी क्र.1**

| क्रमांक | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | ग्रामीणों की समस्या का निराकरण किया जाता है | 20 | 20 |
| 2 | शीघ्र न्याय दिया जाता है | 28 | 28 |
| 3 | सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है | 18 | 18 |
| 4 | छोटे–छोटे प्रकरणों का निपटारा किया जाता है | 16 | 16 |
| 5 | बिना सरकारी वकील के प्रकरणों का निपटारा किया जाता है | 18 | 18 |

**सारणी क्र.2 समस्या को सुलझाने हेतु ग्राम न्यायालय के बारे में जानकारी कहां से ली गई।**

| क्रमांक | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | ग्राम पंचायत | 92 | 92 |
| 2 | जनपद पंचायत | 06 | 06 |
| 3 | खंडपीठ न्यायालय | 02 | 02 |
| | योग | 100 | 100 |

**सारणी क्र.3 अजा/अजजा/के प्रकरणों के साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है ।**

| क्र | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | हां | 12 | 12 |
| 2. | नहीं | 88 | 88 |
| | योग | 100 | 100 |

**न्यायिक प्रकरण सुलझाने के लिए रिश्वत संबंधी**

| क्र | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | हां | 6 | 6 |
| 2 | नहीं | 94 | 94 |
| | योग | 100 | 100 |

**सारणी क्र.4 पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम न्यायालय को सफल बनाने में सहयोग दिया ।**

| क्र | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | हां | 100 | 100 |
| 2. | नहीं | 00 | 00 |
| | योग | 100 | 100 |

**ग्राम न्यायालय को संवैधानिक संबंधित सारणी**

| क्र | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | हां | 100 | 100 |
| 2 | नहीं | 00 | 00 |
| | योग | 100 | 100 |

**निष्कर्ष—अध्ययन क्षेत्र में 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं के प्रकरण ग्राम न्यायालय में दर्ज किये गये जिसमें 44 प्रतिशत मारपीट 28 प्रतिशत जमीन जायदाद 28 प्रतिशत घरेलु लडाई झगड़ा । अतः स्पष्ट होता है कि ग्राम न्यायालय के मारपीट के प्रकरण सर्वाधिक पाये गये ।**

**सारणी क्र.5 पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम न्यायालय को सफल बनाने में सहयोग दिया ।**

| क्र | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | हां | 100 | 100 |
| 2. | नहीं | 00 | 00 |
| | योग | 100 | 100 |

**सारणी क्र.6 प्रकरण किस प्रकार संबंधित है**

| क्र | विवरण | संख्या | प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मारपीट | 44 | 44 | |
| 2. | जमीन संबंधी | | 28 | 28 |
| 3. | घरेलु विवाद | 28 | 28 | |
| | योग | 100 | 100 | |

**सारणी क्र.7 क्या ग्राम न्यायालय के प्रकरणों के समाधान के समय नक्सलवाद के प्रभाव से कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।**

| क्र | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | हां | 15 | 15 |
| 2. | नहीं | 85 | 85 |
| | योग | 100 | 100 |

**सारणी क्र.3 ग्राम न्यायालय को जुर्माना लेने का अधिकार संबंधी सारणी**

| क्र | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | हां | 100 | 100 |
| 2. | नहीं | 00 | 00 |
| | योग | 100 | 100 |

1. अध्ययन क्षेत्र में 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है की ग्राम न्यायालय के छोटे–छोटे झगडे मारपीट जमीन विवाद जायदाद घरेलु लडाई झगड़े जैसी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है लेकिन 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि ग्राम न्यायालय ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम नहीं है । 2. अध्ययन क्षेत्र के 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि ग्राम न्यायालय के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों के साथ जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता है । 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है अनु.जा/अजजा के प्रकरणों के साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है । 3. अध्ययन क्षेत्र में ग्राम न्यायालय के प्रकरणों के समय नक्सलवाद के प्रभाव की कठिनाईयों का सामना करने वालों उत्तददाताओं 88 प्रतिशत है जबकि 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार नक्सलवाद के प्रभाव में ग्राम नयायाल के प्रकरणों में कठिनाईयों का सामना नही करना पड़ता है।

**सुझाव** – शोधार्थी के द्वारा निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत

**प्रकरण ग्राम न्यायालय में दर्ज संबंधी सारणी**

| क्र | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | हां | 100 | 100 |
| 2 | नहीं | 00 | 00 |
| | योग | 100 | 100 |

**क्या आप ग्राम न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले से खुश है ।**

| क्र | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | हां | 80 | 80 |
| 2 | नहीं | 20 | 20 |
| | योग | 100 | 100 |

**क्या ग्राम न्यायालय नक्सलवाद के प्रभाव से समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है ।**

| क्र | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | हां | 88 | 88 |
| 2 | नहीं | 12 | 12 |
| | योग | 100 | 100 |

**ग्राम न्यायालय न्याय दान करने वाले अधिकारी निष्पक्षता से न्याय दान करने की वृतित ।**

| क्र | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | हां | 88 | 88 |
| 2 | नहीं | 12 | 12 |
| | योग | 100 | 100 |

है जिन्हें लागु करके एक न्यायप्रिय ग्राम न्यायालय का निर्माण कर सामाजिक न्याय की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। 1. जिला ग्राम न्यायालय को ग्राम न्यायालय के अध्यक्ष/सदस्य/विधी सचिव के लिए संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान कराने के लिए प्रशिक्षण कराना चाहिए। 2. ग्राम न्यायालय में अनु.जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रकरणों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। 3. ग्राम न्यायालय को फरियादीयों के प्रकरण को शीघ्र निपटारा कराना चाहिए जिसमें ग्रामीणों के धन एवं समय की बचत हो सके । ग्राम न्यायालय के प्रभाव को बचने के लिए नक्सलवाद विचारधारा का अध्ययन करके उसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

## सन्दर्भ ग्रन्थ

1. श्री ारण 1999 पंचायती राज और लोकतांत्रिक पांडुलिपि प्रकाशन नई दिल्ली
। 2. डॉ. अवस्थी 1997 भारतीय दंड संहिता अशोक लॉ हाउस प्रकाशन, नई दिल्ली
। 3. डॉ. अवस्थी 1997 सिविल विधी संग्रह अशोक लॉ हाउस प्रकाशन, नई दिल्ली
। 4. योजना ग्राम न्यायालय की प्रासंगकिता ग्राम विकास मंत्रालय नई दिल्ली ।